

मध्यप्रदेश शासन  
गृह (पारपत्र) विभाग  
मंत्रालय

प्रेषक:- श्रीदास  
अवर सचिव

प्रेषिति:- सचिव,  
भारत सरकार, गृह मंत्रालय,  
फर्स्ट फ्लोर हेरीटेज बिल्डिंग  
मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम  
नेयर इंडिया गेट नई दिल्ली -110001

विषय:- भोपाल, दिनांक 5 / 1 / 2018  
भारतीय नागरिकता पाक नागरिक-श्री राजकुमार खत्री पुत्र स्व. श्री किशनचंद खत्री  
निवासी जिला बालाघाट मध्य प्रदेश ।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत कलेक्टर, बालाघाट के पत्र दि.27.10.2018 एवं 28.09.2018 द्वारा  
पाक नागरिक श्री राजकुमार खत्री पुत्र स्व.श्री किशनचंद खत्री को भारतीय नागरिकता प्रदान किये जाने  
हेतु एमएचए फाईल नं. 2018010534 दिनांक 29.05.2018 की छाया प्रति उपलब्ध कराते हुये अनापत्ति  
व्यक्त की है।

2/ उपरोक्त विषय में राजस्व आदेश अनुमति पत्र न्यायलय अपर कलेक्टर बालाघाट के  
राजस्व प्रकरण 0301/बी-121/2017-18 में राजकुमार खत्री विरुद्ध म.प्र. शासन न्यायलय दर्ज है। पाक  
नागरिक राजकुमार खत्री द्वारा रिजर्व बैंक आफ इंडिया की अनुमति के बिना बालाघाट में अचल संपत्ति  
खरीद की गई है एवं फारेनर एक्सचेंज मैनेजमेंट इक्वीजीशन एण्ड ट्रांसफर आफ इनोबिल प्राप्टीरन इंडिया  
रेग्यूलेशन 2000 का उल्लघन पाये जाने पर थाना कोतबाली में अपराध क्रमांक 72/12 धरा 419,420  
भादवि का अपराध कायम कर मामला न्यायलय में पेश किया गया है जो वर्तमान में न्यायलय में विचाराधीन  
है।

5/ अतः उपरोक्त परिस्थिति में प्रकरण मार्गदर्शन हेतु आदेशार्थ प्रस्तुत है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

भवदीय

(श्रीदास)

पू0 क्रमांक एफ. 4-07/2018/ए-1/दो

भोपाल, दिनांक 5 / 1 / 2018

प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर, जबलपुर को उनके पत्र दिनांक 27.10.2018 के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. आवेदिका श्री राजकुमार खत्री पुत्र स्व. श्री किशनचंद खत्री निवासी बार्ड नं. 25 प्रेम नगर जिला  
बालाघाट मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, गृह (पारपत्र) विभाग